भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2756
(जिसका उत्तर मंगलवार, 20 मार्च, 2018 को दिया गया)
कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा निवेश

2756. श्री रिपुन बोरा :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास देश में कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के अंतर्गत बहुराष्ट्रीय वैश्विक संस्थाओं द्वारा निवेश किए जाने के संबंध में कोई रिपोर्ट है;
(ख) यदि हां, तो शीर्ष 50 बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा किए गए निवेश और खर्च का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा उत्तर पूर्वी राज्यों में चलाई गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विधि और न्याय एवं कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. पी. चौधरी)

(क) से (ग): जी नहीं। हालांकि, कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 135 के अनुसार निर्धारित ऊपरी सीमा से अधिक कारोबार, या निवल मूल्य, या निवल लाभ वाली प्रत्येक कंपनी, जिसमें बहु-राष्ट्रीय कंपनियां (एमएनसी) भी शामिल हैं, द्वारा तत्काल पूर्ववर्ती तीन वित्त वर्षों के दौरान अर्जित औसत निवल लाभ का कम से कम दो प्रतिशत, अधिनियम की अनुसूची-VII में विहित कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) कार्यकलापों पर खर्च करना अनिवार्य है। कंपनियों द्वारा एमसीए-21 रजिस्ट्री में की गई फाइलिंग बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आधार पर होने के बजाय ऊपरी सीमा के आधार पर होती है, अतः बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा सीएसआर व्यय के विशिष्ट आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते हैं।

*****